न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील संख्या : 150/2018

1. जयसिंह पुत्र
2. अभय सिंह पुत्र
3. भरत सिंह पुत्र
4. राज श्री पुत्री
5. जय श्री पुत्री
6. मनहर कंवर बेवा

विजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासीगण रेनगढ तहसील मांगरोल जिला बारां

7. राकेश सिंह पुत्र
8. राजेन्द्र सिंह पुत्र
9. भानू प्रताप सिंह पुत्र
10. वीरेन्द्र सिंह पुत्र
11. श्रृंगार कंवर बेवा

भैरूसिंह उर्फ देवराज सिंह जाति राजपूत निवासीगण रेनगढ तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादीगण

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां
2. वन विभाग बारां, जिला बारां

....प्रतिवादीगण

वाद वास्ते घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92, 92 ए आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
दायरा दिनांक: 27.12.2018 निर्णय दिनांक : 16.01.2019

वादीगण ने जर्ये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92, 92 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट पेश करके कथन किया कि साबिक खाता नं0 19 व 28 हाल खाता नं0 22 सम्वत 2026 से 2029 ग्राम रेनगढ तहसील मांगरोल जिला बारां में कुल किता 9 रकबा 132 बीघा 2 बिस्वा आराजी खातेदार श्री लाडी चन्द्रावती जौजे कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी रेनगढ के खाते दर्ज हो रही है। उक्त वर्णित आराजी 9 किता में से केवल खसरा नं0 21 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं0 24 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं0 25 रकबा 19 बिस्वा आराजी ही विवादित है, मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नं0 21 के हाल खसरा नं0 60 रकबा 0.67 है0 साबिक खसरा नं0 24 के हाल खसरा नं0 61 रकबा 1.70 है0 साबिक खसरा नं0 25 के हाल खसरा नं0 52/376 रकबा 0.17 है0 दर्ज किये गये है। लाडी चन्द्रावती के मृत्यु के बाद उक्त वर्णित आराजी इं0 नं0 185 दिनांक 06.01.2014 से वादीगण के खाते दर्ज हो चुकी है, और वादीगण काबिज काश्त है। पूर्व खातेदार लाडी चन्द्रावती की आराजी अधिग्रहण से मुक्त करके पुनः उनके खाते दर्ज की गई लेकिन दौराने सिवाय चक इं0 नं0 1 से साबिक खसरा नं0 21, खसरा नं0 24 व खसरा

[illegible] विभाग प्रतिवादी नं0 2 के खाते दर्ज कर दिये जाने से पुनः लाडी चन्द्रावती के खाते में दर्ज [illegible] जा सके, और तहसीलदार मांगरोल ने वादीगण के कहां कि आपको एस0डी0ओ0 साहब मांगरोल [illegible] वाद पेश करके यह दर्ज नम्बर वापिस अपने खाते में दर्ज कराने होंगे। जमाबंदी सम्वत 2048 से 2051, 2052 से 2055, 2056 से 2059 व 2060 से 2063 व हाल जमाबंदी ग्राम रेनगढ तहसील मांगरोल में खसरा नं0 60 रकबा 0.67 है0, खसरा नं0 61 रकबा 1.70 है0, खसरा नं0 52/376 रकबा 0.17 है0 आराजी प्रतिवादी नं0 2 वन विभाग बारां के दर्ज हो रही है। जो गलत दर्ज हो रही है। अतः निवेदन है कि ग्राम रेनगढ की आराजी खसरा नं0 60 रकबा 0.67 है0, खसरा नं0 61 रकबा 1.70 है0, खसरा नं0 52/376 रकबा 0.17 है0 को वन विभाग के खाते से खारिज की जाकर वादीगण के खाते में दर्ज की जाकर वादीगण को खोतदार घोषित किया जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करके प्रतिवादी गण को तलब किया गया, प्रतिवादीगण क्रम 2 रजिस्टर्ड तलबी के बाद भी न्यायायल में उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने अपने मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू 1 वीरेन्द्र सिंह वादी क्रम 10, पीडब्ल्यू 2 किशनगोपाल, पीडब्ल्यू 3 रामेश्वर के बयान लेखबद्ध करवाये। दस्तावेजी सांक्ष्य में निम्न दस्तावेज बयानों में प्रदर्श करवाये।

प्रदर्श 1– जमाबंदी ग्राम रेनगढ सम्वत 2068–2071 खातेदार वादीगण
प्रदर्श 2– जमाबंदी ग्राम रेनगढ सम्वत 2026–2029 खातेदार लाडी चन्द्रावती
प्रदर्श 3– इंतकाल नं0 125 ग्राम रेनगढ सीलींग अधिग्रहण आराजी
प्रदर्श 4– इं0 नं0 1 से वन विभाग के नाम खसरा नं0 60, 61 व 52/376 दर्ज किऐ गयें
प्रदर्श 5 ता 8– खसरा नं0 60 रकबा 0.67 है0, खसरा नं0 61 रकबा 1.70 है0, खसरा नं0 52/376 रकबा 0.17 है0 खातेदार वन विभाग
प्रदर्श 9– जमाबंदी ग्राम रेनगढ सं0 2068–2071 खातेदार वन विभाग
प्रदर्श 10 व 11– राजस्व नक्शा आराजी साबिक व हाल ग्राम रेनगढ
प्रदर्श 11– मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नं0 60, 61, 52/376 ग्राम रेनगढ
प्रदर्श 12– हाल जमाबंदी ग्राम रेनगढ सं0 2072–2075 ग्राम रेनगढ खातेदार वादीगण
प्रदर्श 13– हाल जमाबंदी ग्राम रेनगढ सं0 2072–2075 ग्राम रेनगढ खातेदार वन विभाग
प्रदर्श 14– जमाबंदी सम्वत 2044–2063 ग्राम रेनगढ खातेदार लाडी चन्द्रावती
प्रदर्श 15 व 16– जमाबंदी सम्वत 2044–2063 ग्राम रेनगढ खातेदार राजस्थान सरकार
प्रदर्श 17– जमाबंदी ग्राम रेनगढ सम्वत 2048–2052 खातेदारी लाडी चन्द्रावती
प्रदर्श 18– जमाबंदी ग्राम रेनगढ सम्वत 2053–2055 खातेदारी लाडी चन्द्रावती
प्रदर्श 19– जमाबंदी ग्राम रेनगढ सम्वत 2056–2059 खातेदारी लाडी चन्द्रावती
प्रदर्श 20 ता 22– जमाबंदी ग्राम रेनगढ सम्वत 2064–2067 व 2068–71 खातेदारी लाडी चन्द्रावती
प्रदर्श 24– इंतकाल नं0 42 ग्राम रेनगढ
प्रदर्श 25– इंतकाल नं0 65 ग्राम रेनगढ आराजी सीलिंग से मुक्त 14.68

दिनांक 07.01.2003 राजस्व मंडल अजमेर
नोटिस धारा 80 सी0पी0सी0 जिला कलक्टर बारां
सरकार पैरोकार की बहस सुनी गयी। प्रस्तुत सभी राजस्व दस्तावेजो, का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया बयान गवाहन को भी पढा गया।

वकील वादी ने अपनी बहस में न्यायालय का ध्यान जमाबंदी सम्वत 2026–2029 ग्राम रेनगढ की ओर दिलाया ओर बताया कि खातेदार लाडी साहिबा चन्द्रावती के कुल 9 किता रकबा 132 बीघा 2 बिस्वा आराजी थी। आगे बताया कि चन्द्रावती साहिबा वादीगण की दादी साहिबा थी। जिसकी मृत्यु हो चुकी है। लाडी साहिबा चन्द्रावती की आराजी इं0 नं0 125 दिनांक 02.05.1976 से सीलींग में अधिग्रहण की जाकर राजस्थान सरकार खाते दर्ज की गई। सीलींग अधिग्रहण में विवादित खसरा नं0 21 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं0 24 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं0 25 रकबा 19 बिस्वा है। इन खसरा नम्बरान के बाद सेटलमेंट नये खसरा नं0 क्रमशः 60 रकबा 0.67 है0, खसरा नं0 61 रकबा 1.70 है0, खसरा नं0 52/376 रकबा 0.17 है0 दर्ज किए गये।

माननीय राजस्व मंडल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 07.01.2003 से लाडी चन्द्रावती के पास 110 बीघा भूमि छोडते हुऐ 22 बीघा भूमि अधिग्रहण करने के आदेश दिऐ निर्णय प्रदर्श 26 है। वकील वादी ने बहस में बताया कि राजस्व मंडल अजमेर की पालना में लाडी चन्द्रावती के खाते में इंतकाल नं0 65 प्रदर्श 11 से पुनः 14.68 है0 आराजी दर्ज की गई जो प्रदर्श 21, 22, 23 तथा प्रदर्श 1 से साबित है जो कि लगभग 91 बीघा 15 बिस्वा आराजी होती है जबकि माननीय राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय अनुसार खाते में 110 बीघा आराजी दर्ज होनी चाहिऐं। इस प्रकार राजस्थार सरकार ने वादीगण की दादी लाडी चन्द्रावती साहिबा के लगभग 18 बीघा भूमि कम दर्ज की। वकील वादी ने बहस में बताया कि दौराने सिलींग सिवायचक आराजी सहवन से इं0 नं0 1 दिनांक 05.07.1991 से विवादित खसरा नं0 60 रकबा 0.67 है0, खसरा नं0 61 रकबा 1.70 है0, खसरा नं0 52/376 रकबा 0.17 है0 कुल 2.54 हे0 आराजी प्रतिवादी क्रम 2 वन विभाग के खाते में दर्ज कर दी जिसकी पुष्टि इं0 नं0 1 प्रदर्श 4, प्रदर्श 5 ता 9 व प्रदर्श 13 से होती है।

आगे बहस में बताया कि वन विभाग के दर्ज खसरा नं0 60, 61 व 52/376 के साबिक खसरा नं0 क्रमशः 21, 24 व 25 थे जो कि जमाबंदी सम्वत 2026–2029 में वादीगण की दादी लाडी चन्द्रावती के खाते में दर्ज थे। आगे बहस में बताया कि वन विभाग के खाते में दर्ज आराजी 2.54 है0 को पुनः वादीगण के खाते में जोडने से आराजी लगभग 108 बीघा हो जाती है ओर राजस्व मंडल के निर्णय की पालना भी हो जाती है राजस्व रेकार्ड में ही आराजी वन विभाग के खाते में दर्ज है, लेकिन वन विभाग प्रतिवादी क्रम 2 का कब्जा कभी भी नही रहा है जैसा की बयान पीडब्ल्यू 1, पीडब्ल्यू 2 व पीडब्लयू 3 ने आराजी पर कब्जा

[illegible] का बताया है। पैरोकार सरकार ने राजस्व मंडल अजमेंर के निर्णय 07.01.2003 की पालना [illegible] विभाग के खाते में दर्ज आराजी खसरा नं0 60 रकबा 0.67 है0, खसरा नं0 61 रकबा 1.70 है0, खसरा नं0 52/376 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम रेनगढ पुनः खातेदार के खाते में दर्ज किऐ जाने में कोई आपत्ति नही है।

न्यायालय वकील वादीगण की बहस व प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड, निर्णय से संतुष्ट है। राजस्व मंडल अजमेंर के निर्णय दिनांक 07.01.2003 का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि वादीगण के खाते में 110 बीघा आराजी होनी चाहिए लेकिन मात्र 14.68 है0 आराजी वादीगण के खाते में दर्ज है। यह भी रेकार्ड से स्पष्ट है कि लाडी चन्द्रावती के खाते में दर्ज साबिक खसरा नं0 21, 24 व 25 की आराजी कुल किता 3 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा वन विभाग रेनगढ के खाते में दर्ज कर दी गई, जिसके हाल खसरा नम्बर क्रमशः 60, 61 च 52/376 का रकबा 2.54 है0 है। यह आराजी सहवन से वन विभाग रेनगढ के खाते में दर्ज कर दी गई जिसको पुनः वादीगण के खाते में दर्ज करने से माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर के निर्णय की पालना भी हो जाती है। राजस्व नक्शे व जमाबंदी देखने से स्पष्ट है कि उपरोक्त वर्णित आराजी में खेती हो रही है वादीगण का कब्जा है तथा वन विभाग के काम नही आ रही है न्यायालय समस्त रेकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात व वादी के विद्वान वकील क़ी बहस सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हाल जमाबंदी ग्राम रेनगढ वन विभाग के खाता संख्या 120 में दर्ज आराजी खसरा नं0 60 रकबा 0.67 है0, खसरा नं0 61 रकबा 1.70 है0, खसरा नं0 52/376 रकबा 0.17 है0 आराजी को खाते में से खारिज किया जाकर वादीगण के हाल खाता संख्या 65 ग्राम रेनगढ तह0 मांगरोल खातेदार भरतसिंह, जयसिंह वगैरह के खाते की आराजी में दर्ज किया जावें।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि हाल खाता संख्या 120 ग्राम रेनगढ तहसील मांगरोल खातेदार वन विभाग के खाते में दर्ज आराजी खसरा नं0 60 रकबा 0.67 है0, खसरा नं0 61 रकबा 1.70 है0, खसरा नं0 52/376 रकबा 0.17 है0 आराजी को खाते से खारिज किया जाकर वादीगण के हाल खाता संख्या 65 ग्राम रेनगढ तहसील मांगरोल जिला बारां खातेदार भरतसिंह, जयसिंह वगैरह के दर्ज किया जावें। दर्ज खसरा नं0 61 रकबा 1.70 है0, खसरा नं0 60 रकबा 0.67 है0, खसरा नं0 52/376 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम रेनगढ तह0 मांगरोल का खातेदार घोषित किया जाता है। आदेशानुसार पर्चा डिक्री बनाई जावें। तहसीलदार मांगरोल तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2019 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाय